संख्या– 53 /XXXIV/2005

प्रेषक,

संजीव चौपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
आई0टी0डी0ए0/पी0एम0यू0 (ई–गर्वनेंस),
उत्तरांचल, देहरादून।

2– वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तरांचल शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 2 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2005

विषय– वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्यय से आई0टी0 योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अन्तर्गत संलग्नक के अनुसार परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन कुल रू0 1,10,00,000/– (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– परियोजना में व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

2– स्वीकृत धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर धनराशि आहरित की जाय।

3– विश्व बैंक द्वारा सहायतित परियोजनाओं का व्यय विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जाय।

4– विभिन्न परियोजनाओं में व्यय की सूचना बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह के 20 तारीख तक महालेखाकार, वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। सूचना समय से उपलब्ध न कराये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5– धनराशि का आहरण नियमानुसार बजट स्वीकृता अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त किया जाय।

6– यदि बैंक के खाते में धनराशि रखी गयी हो, तो समय–समय पर जो व्याज अर्जित होगा, उसकी त्रैमासिक आधार पर वित्तीय नियमों के अधीन राजकोष में जमा कर, उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7– विभिन्न परियोजनाओं में व्यय/भुगतान की सूचना/सहमति (मदवार विवरण) शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अगर कोई निर्माण या उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित हो, तो वित्तीय नियमों में प्राविधानित दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त परियोजनाओं के विस्तृत विवरण (आगणन सहित) पर शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग का वर्षवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– व्यय की धनराशि का विवरण विश्व बैंक एवं शासन को उनके दिशा–निर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भी समय से उपलब्ध कराया जाय।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष–4859–दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय–02–इलैक्ट्रसनिक्स–00–आयोजनागत–800–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

11– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1356 /वित्त अनु0–3/ 2005, दिनांक 28 अगस्त, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(संजीव चौपड़ा)
सचिव।

संख्या /1/XXXIV/2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. विशेष कार्याधिकारी, आई0टी0 देहरादून।
3. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
4. वित्त अनुभाग–3
5. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या– 53/XXXIV/2005 दिनांक 2 सितम्बर ~~अगस्त~~ 2005 का संलग्नक

4859–दूरसंचार एंव इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
02 इलैक्ट्रोनिक्स
00– आयोजनागत

800–अन्य व्यय –
03– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सृदृढ़ीकरण–
44– प्रशिक्षण व्यय 10000000/–

05– ई–गवर्नेन्स हेतु वैबसाईट एवं पोर्टल तैयार करना–
42–अन्य व्यय 1000000/–

कुल योगः– 1,10,000,00/–
(रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।